

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उडसरिया आरएएस

करण सं० : 216/2025

नवान :

1. राकेश कुमार सहू पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी नूवां तहसील भादरा। :- वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी नूवां तहसील भादरा।
2. मन्जू पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी नूवां तहसील भादरा।
3. नीलम पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी नूवां तहसील भादरा।
4. मुकेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी नूवां तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिंहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामचन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नूवां के खाता सं० 350/243 के ख०सं० 560/476 की 1.5180 है०, खसरा संख्या 561/476 की 1.6590 है०, खसरा संख्या 564/203 की 1.862 है०, खसरा संख्या 565/286 की 1.5430 है०, खसरा संख्या 569/431 की 0.3950 है०, खसरा संख्या 572/301 की 1.713 है०, खसरा संख्या 573/430 की 4.256 है० कुल खसरे 7 की कुल रकबा 12.946 है० बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 लालचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 अकेले की बजाय वादी राकेश सहू एवं प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द व प्रतिवादी संख्या 4 मुकेश कुमार को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Nidhi

(निधि उडसरिया)RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

